

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक-25.03.2026 को आहूत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक माह मार्च-2026 की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री गिरिवर दयाल सिंह, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
2. श्री अरुण कुमार, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
3. श्री कुमार प्रशांत, अपर समाहर्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर - सदस्य।

कार्यवाही:-

1. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारीगण/आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
2. विगत बैठक दिनांक-27.02.2026 एवं 13.03.2026 की कार्यवाही के अनुपालन का निदेश दिया गया।
3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।
4. सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्र0	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का निर्देश एवं शपथ-पत्र, वांछित कागजात।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
6	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
7	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में vehicle location tracking device स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।
9	परिवहन विभाग, बिहार अधिसूचना संख्या 8866 दिनांक 09.07.2024	मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल-2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करने के संबंध में।

5. माह मार्च-2026 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त हुए कुल-36 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसका समेकित विवरण निम्नवत् है:-

नये आवेदन	लंबित आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस
36	0	29	3	4

6. प्राधिकार की बैठक दिनांक 30.10.2024, 14.11.2024 एवं 29.08.2025 को समय अन्तराल पर सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय निम्नवत् है :-

(क) प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :- किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(i) पटना या मुजफ्फरपुर से किसी भी मार्ग पर परिचालित वाहनों के प्रस्थान समय के पहले या बाद में न्यूनतम 3 (तीन) मिनट समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर किसी अन्य पड़ाव स्थल से परिचालित वाहनों के लिए मार्ग भिन्न होने की स्थिति में यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम हो तब भी प्रारंभिक स्थल पर पहले या बाद में न्यूनतम समय अन्तराल 3 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा। यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक हो तो प्रारंभिक स्थल पर पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :- किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले या बाद में (Before/After) न्यूनतम 03 (तीन) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(i) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले या बाद में 03 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा।

(ii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहनों का प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट (पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर) अनुमान्य होगा, परन्तु मार्ग भिन्न एवं कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम होने पर पहले या बाद में समय अन्तराल 3 मिनट अनुमान्य होगा।

(ग) प्राधिकार की बैठक दिनांक-30.05.2025 को समय-अन्तराल पर प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :- किसी बस पड़ाव से अलग-अलग गंतव्य तक यात्रियों के आवागमन के लिए पड़ाव के भिन्न बिन्दु/स्थल से पूर्णतः भिन्न मार्गों पर बसों के परिचालन की स्थिति में कंडिका 6 (क)(ख) को शिथिल किया जा सकेगा।

7. **Overlapping of Route** एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है, दूसरे मार्ग के परमिट धारक आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध करते हैं। इस संबंध में स्पष्ट है कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो एवं एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से कम आच्छादित करता हो तो दोनों मार्गों को भिन्न मानते हुए परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा तथा जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो तो उन दोनों मार्गों को समान मानते हुए तदनुसार परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा।

8. नये आवेदन संबंधी दिशा निर्देश :- परमिट निर्गत करने हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन, प्रकाशित समय-सारणी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के आधार पर लिया जाता है। किसी प्रकार का त्रुटि न हो इसके लिए कार्यालय अभिलेख के रूप में निम्नलिखित कागजातों की पठनीय/स्व-अभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा करना आवश्यक है :-

(i) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

- (iii) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र (Fitness) की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (iv) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (v) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (vi) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (vii) HSRP स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (viii) आवेदित मार्ग का वैद्य नक्शा/नजरी नक्शा की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (ix) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन।
 (x) विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र।

नोट:-शपथ पत्र पर निबंधन पुस्त के अनुरूप ही वाहन स्वामी का नाम/पता अंकित किया जाएगा।)

- (xi) वाहन के अन्दर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ (वाहन-6, वाहन स्वामी-1)
 (xii) वाहन स्वामी का आधार कार्ड/पैन कार्ड/आवासीय प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (xiii) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर।
 (xiv) वाहन के चालक एवं कंडक्टर की अनुज्ञप्ति स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (xv) पुराना परमिट समय-सारणी के साथ (यदि वाहन परमिट से आवृत्त हो)
 (xvi) बैनर का नाम (बैनर अंतर्गत परिचालित सभी वाहनों की सूची अवश्य संलग्न करें)
 (xvii) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (मोबाईल नं० एवं पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रुपये डाक टिकट के साथ, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सही पते पर परमिट भेजा जा सके।
 (xviii) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -मार्ग संख्या के साथ अंकित भाया के अनुरूप समय-सारणी का प्रकाशन करते हुए उसकी मूल प्रति समर्पित की जाए। दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर एवं अधिसूचित मार्ग के अनुरूप पड़ाव स्थल अंकित नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा शपथ-पत्र में उल्लेख करना होगा कि समय-सारणी में कहीं भी गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

समय-सारणी का प्रपत्र

वाहन संख्या-..... रूट संख्या-..... (.....से.....तक) वाया-.....

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

9. आवेदित वाहनों के समय-सारणी का प्रकाशन:-

- (i) प्राधिकार के निर्णयानुसार आवेदक द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन एवं मूल संचिका में संलग्न समय-सारणी को बिना संशोधित किए दावा/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु कार्यालय के वेबसाइट पर तथा सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना है। अतः आवेदक की जिम्मेवारी है कि अधिसूचित मार्ग संख्या एवं अंकित भाया के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन एवं त्रुटि रहित समय-सारणी समर्पित की जाए। ऑनलाईन एवं ऑफलाइन आवेदन में विसंगति पाये जाने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
 (ii) यदि किसी वाहन को परमिट की स्वीकृति दी जाती है तथा बाद में समय-सारणी या वाहन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होता है, तब प्राधिकार द्वारा तथ्यों की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

10. आपत्ति आमंत्रित करना:-

- (i) प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदनों को एजेंडा के रूप में संकलित किया जाता है एवं "पहले आओ-पहले पाओ" First in-First out (FIFO) के नियम के आधार पर आवेदन को तिथि/समय के क्रमानुसार संधारित किया जाता है।

(ii) समय-सारणी प्रकाशन पर आपत्ति के लिए शुल्क के रूप में 1000/-रु० निर्धारित है। आपत्ति के निर्धारित तिथि के पश्चात् एवं बिना शुल्क के कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

11. आपत्तिकर्ता का दायित्व :-

(i) आपत्तिकर्ता परमिट से आवृत वाहनों से ही आपत्ति दर्ज करेंगे एवं आपत्ति करते समय संबंधित वाहनों के सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, इन्सुरेंस, फिटनेस, प्रदूषण, एच०एस०आर०पी०, भी०एल०टी०डी० अद्यतन एवं अधिरोपित जुर्माना की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा मान्य कागजात/जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना रु० 10000/- अधिरोपित किया जाएगा तथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह का आवेदन स्वयं उपस्थित होकर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारणवश वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हो सके तो अपने द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण पत्र एवं संबंधित प्रतिनिधि का पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करते हुए कार्यालय के काउण्टर पर जमा किया जा सकता है।

(iii) प्रायः देखा जा रहा है कि वास्ते लिखकर एक प्रतिनिधि द्वारा अनेक वाहन स्वामी का हस्ताक्षर कर बेवजह आपत्ति दर्ज किया जा रहा है, जिससे अवांछित आपत्ति प्राप्त होता रहता है एवं कार्यालय का समय बर्बाद होता है। अतः आपत्ति/आवेदन की प्रमाणिकता स्थापित हो सके इसके लिए भविष्य में वास्ते से हस्ताक्षरित सभी आवेदन/आपत्ति में वाहन स्वामी का प्राधिकरण पत्र एवं पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा नहीं तो आपत्ति मान्य नहीं होगी। प्राधिकरण पत्र की एक मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, ताकि जरूरत पड़ने पर छायाप्रति को मूल कार्यालय प्रति से मिलान किया जा सके।

(iv) कार्यालय में किसी काम से आनेवाले प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ वाहन स्वामी द्वारा उनके नाम से निर्गत प्राधिकरण पत्र के साथ मान्य पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य है, जाँच के दौरान उक्त का उल्लंघन करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

(v) यदि किसी वाहन स्वामी को अपनी शिकायत/बात रखनी हो तो इस प्राधिकार का ई-मेल:- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर जानकारी को ऑनलाईन भेज सकते हैं अथवा संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, तिरहुत, मुजफ्फरपुर के समक्ष उपस्थित होकर शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं।

12. वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी/गति सीमा :- सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

क्र० सं०	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में)
1	0-5	असीमित
2	5-10	600
3	10-15	400
4	15 वर्ष से अधिक	100

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन की आयु परमिट की वैधता की तिथि के पूर्व ही 15 वर्ष हो जायेगी, उसके वाहन स्वामी 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पहले उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन अनिवार्य रूप से करा लेंगे।

13. गति सीमा का पालन :- सभी आवेदक/वाहन स्वामी से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए स्पष्टउल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय

करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका-8 में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

सामान्य बस- 20-60 कि०मी०/घंटा

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनान्तर्गत-10-60 कि०मी०/घंटा

14. उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ :- जिन वाहन स्वामी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया अपना कर आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की अगली बैठक में "पहले आओ-पहले पाओ" **First in-First out (FIFO)** के नियम के आधार पर आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार विचार किया जाएगा।
15. स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण :-
कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।
- परमिट की मूल प्रति।
 - फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (यदि वाहन हाईपोथिकेशन पर हो)
 - प्रयोजन का साक्ष्य।
 - आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 - सनहा (यदि परमिट खो गया हो/नष्ट हो गया हो)

नोट :-स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण (यदि फाईनेन्सर द्वारा गाड़ी की नीलामी की गई हो) :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- परमिट की मूल प्रति।
 - फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 - फाईनेन्सर का अनुशंसा पत्र (विक्रय किए गए वाहन स्वामी का सभी संबंधित दस्तावेज अनुलग्नक के साथ)
 - प्रयोजन का साक्ष्य।
 - फाईनेन्सर का निबंधन संबंधी साक्ष्य।
 - सनहा (यदि परमिट की मूल प्रति फाईनेन्सर को सुपूर्द नहीं किया गया हो)
16. (क) स्टेज कैरेज परमिट का स्वामित्व हस्तान्तरण :-
परमिट होल्ड करना :-
कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।
- परमिट की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
 - प्राधिकार को की गई सूचना की स्वअभिप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो सक्षम अधिकार से निर्गत वंशावली)
 - वाहन स्वामी की स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड/मृत्यु की स्थिति में सक्षम अधिकार से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- (ख) परमिट रिस्टोर करना :-
कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।
- परमिट की मूल प्रति।
 - वाहन के सभी मान्य कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
 - स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी का स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड।
 - प्रयोजन का साक्ष्य।
 - स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी का फोटो (वाहन-6, वाहन स्वामी-1)

(vi) मोटरयान निरीक्षक, का जाँच प्रतिवेदन।

(ग) नये एजेंट अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

(i) आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ii) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।

(iii) उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(iv) शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(v) आवेदक का फोटा-03

(घ) एजेंट अनुज्ञप्ति का नवीकरण हेतु आवेदन :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

(i) आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ii) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।

(iii) उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(iv) शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(v) आवेदक का फोटो-02

(vi) एजेंट अनुज्ञप्ति की मूल प्रति।

17. सामान्य निदेश

- (i) इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को सारण/दरभंगा/पटना प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :- परमिट प्राप्त बस, जो सारण/दरभंगा/पटना के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, वे परमिट निर्गमण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता है। अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को इस प्राधिकार द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक-379 दिनांक-14.01.2025 के आलोक में निर्धारित शुल्क प्राप्त करते हुए परमिट प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा सूचित किया गया है कि प्रतिहस्ताक्षर हेतु विलम्ब शुल्क स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः अधिक स्पष्टता हेतु सूचित किया जाता है कि अन्य प्राधिकार से निर्गत/नवीकृत परमिट प्रतिहस्ताक्षर हेतु निम्नवत विलम्ब शुल्क देय होगा :-

क्र०सं०	विलम्ब तिथि	विलम्ब शुल्क
1	निर्गत तिथि से 15 दिनों तक	शून्य
2	निर्गत तिथि से 30 दिनों तक	रु०- 500/-
3	निर्गत तिथि से 30 से 60 दिनों तक	रु०- 1000/-
4	निर्गत तिथि के 60 से 90 दिनों के अंदर	रु०- 2000/-
5	निर्गत तिथि के 90 से 180 दिनों के अंदर	रु०- 4000/-
6	निर्गत तिथि के 180 दिनों के बाद	रु०- 20000/-

(अनुपालन: आर०टी०ए० सचिव / सभी परमिटधारी)

- (ii) अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :- जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन किया जा रहा है, वैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ वाहन स्वामी द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त





कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय-सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है।

अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया जाता है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालन: सभी डी०टी०ओ० तिरहुत, प्रमंडलान्तर्गत / आर०टी०ए० सचिव / सभी परमिटधारी)

(iii) बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित दिनांक 20.06.2023 एवं दिनांक 30.06.2023 की बैठक में सभी बस मालिकों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि अपने बसों के दोनों तरफ (i) परमिटधारी का नाम एवं पता (ii) परमिट संख्या एवं वैधता (iii) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (iv) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा लें।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि बसों की जाँच उपरोक्त निदेशानुसार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन: सभी डी०टी०ओ० तिरहुत, प्रमंडलान्तर्गत / सभी परमिटधारी)

(iv) सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLT D स्थापित एवं सक्रिय होना:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLT D स्थापित एवं सक्रिय किया जाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं०-6479, दिनांक-30.09.2022 द्वारा VLT D स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177,179 एवं धारा-190(2) का उल्लंघन माना जाएगा एवं तदनुसार उक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक-5549, दिनांक-14.07.2023 द्वारा भी परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLT D स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, परन्तु अभी भी कतिपय बस मालिकों द्वारा अपने बस में V.L.T.D. स्थापित नहीं कराया गया है।

अतएव सभी वाहन मालिकों को निदेश है कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) कराना सुनिश्चित करें। V.L.T.D. स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे। साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में V.L.T.D. स्थापित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को पुनः निदेश दिया गया कि बसों में V.L.T.D. की सक्रियता की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालन: सभी डी०टी०ओ० तिरहुत, प्रमंडलान्तर्गत / सभी परमिटधारी)

(v) स्टेज कैरेज परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई :-

परमिट से संबंधित इस प्राधिकार के द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय एवं विभागीय निदेश के आलोक में समय-समय पर सूचनाओं को समाचार पत्र एवं इस प्राधिकार के वेबसाइट के माध्यम से प्रचारित किया जाता है तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम-1988, केन्द्रीय मोटरयान

नियमावली-1989, बिहार मोटरयान नियमावली-1992 एवं बिहार करारोपण अधिनियम-1994 की सुसंगत धाराओं एवं नियम के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- (vi) बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :-सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गयी कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराह्न 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।
- (vii) सशर्त परमिट स्वीकृति के मामलों में शर्त का अनुपालन/जुर्माना राशि अदा करना :- प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से जिन आवेदनकर्ताओं का आवेदन सशर्त स्वीकृत किया गया, उनसे अद्यतन मान्य कागजात, अधिभार की राशि, प्रक्रिया शुल्क एवं यदि जुर्माना किया गया हो तो जुर्माना की राशि चालान से 10 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से जमा कराकर तदनुसार परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आगामी बैठक से पहले तक वे अपना परमिट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को निष्पादित (dispose off) करते हुए उक्त टाइम स्लॉट को खाली कर दिया जाएगा। कई वाहन स्वामियों द्वारा आवेदन दिया गया है कि कोर्ट में जुर्माना लंबित होने के कारण अनुपालन में देरी होती है, जैसे वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि प्रतिमाह आवेदन देने के अंतिम तिथि के पूर्व सभी जुर्माना जमा करा कर निष्पादन करा लें। जुर्माना जमा होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किया जायेगा। कोर्ट में लंबित जुर्माना निष्पादित करने हेतु कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा। सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि आवेदन की तिथि से कम से कम अगले 3 (तीन) माह तक वाहन का सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि परमिट को उनके घर भेजने में कठिनाई नहीं हो।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

- (viii) कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :- परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ-पत्र इत्यादि की जाँच कर, बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक)

- (ix) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :- प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाइम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन स्वामी परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है। इस तरह के मामले पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सभी डी0टी0ओ0 को जाँच कर विधि सम्मत् कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

- (x) प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :- प्राधिकार द्वारा निदेश दिया गया कि प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन स्वामी या उनके वैध प्रतिनिधि (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आई0डी0 कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे।
- (xi) समान मार्ग संख्या वाले परमिट से कार्यालय अभ्युक्ति अंकित किया जाना :- कार्यालय द्वारा आवेदित वाहन के समय पर समान मार्ग संख्या वाले सभी परमितों के मुख्य बिन्दु पर अंकित समय का मिलान किया जाता है एवं टकराव पाये जाने की स्थिति में कार्यालय अभ्युक्ति में अंकित कर ट्रिप कटाव किया जाता है। अन्य मार्ग संख्या वाले परमिट से आपत्ति प्राप्त होने पर उसी आवेदन के संबंध में विचार किया जाता है, जिसपर आपत्ति प्राप्त होती है। मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय टकराव होने की स्थिति में

o d

आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन्स रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।

(XII) परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु:- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा लगातार टाईम स्लॉट में चार-पाँच परमिट प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है। टाईम-स्लॉट घेर कर रखा जाता है, ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सकें। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का वी. एल. टी. डी. रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी। परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम-स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम-स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सकें एवं यात्रीगणों को सुविधा मिले।

(XIII) फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्रवाई :- प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(XIV) आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना :-

(क) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन पूर्व से परमिट से आवृत्त है एवं उसी वाहन से नये मार्ग पर नया परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया हो तो परमिट प्रत्यर्पण की आवश्यकता नहीं है, परमिट स्वीकृति के पश्चात पुराना परमिट विहित शुल्क के साथ प्रत्यार्पित करने के पश्चात नया परमिट निर्गत किया जाएगा।

(ख) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन के समय का टकराव उनके अन्य परमिट आवृत्त वाहन से हो रहा हो एवं वाहन स्वामी खेप कटाव नहीं चाहते हों तो इसके लिए पूर्व से निर्गत परमिट का प्रत्यर्पण करना आवश्यक होगा।

(XV) दो पड़ावों के बीच दूरी :- कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग-अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागीय सॉफ्टवेयर में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाएगा। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को सॉफ्टवेयर में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा।

(अनुपालन आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक)

(XVI) High Security Registration Plate :- केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के समक्ष परमिट हेतु प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न फोटो की जाँच करने पर पता चलता है कि कतिपय वाहनों में H.S.R.P. नहीं लगा है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वे अपने सभी परमिट आवृत्त वाहनों एवं आवेदित वाहनों पर H.S.R.P. लगाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व से लगाये H.S.R.P. को वाहन पोर्टल पर अद्यतन कराना भी सुनिश्चित करें यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। H.S.R.P. अद्यतन नहीं होने पर प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि H.S.R.P. अद्यतन कराने संबंधी वाहन स्वामियों से प्राप्त आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करें एवं अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी वाहनों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करें।

(XVII) नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की

जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसित प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा।

(XVIII) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना :- (क) अपर सचिव परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14344 दिनांक-11.12.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत परमिट प्राप्त करने हेतु मार्गों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि (i) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभुक वाहन का परिचालन अपने प्रखंड से/होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक के लिए परिवहन विभाग के

अधिसूचित मार्ग का चयन कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बस का ठहराव उस प्रखंड मुख्यालय में अवश्य हो जहाँ के लिए उक्त योजनान्तर्गत लाभुक का चयन किया गया है। (ii) यदि लाभुक कोई नया मार्ग हेतु आवेदन देना चाहते हैं जो उनके प्रखंड मुख्यालय से होते हुए/से जिला मुख्यालय/निकटवर्ती जिला मुख्यालय को जाता हो तो नया मार्ग को अधिसूचित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में आवेदन समर्पित किया जा सकता है, ताकि परिवहन विभाग से मार्ग अधिसूचित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकें।

(ख) उक्त योजना के लाभुकों द्वारा MMPPY मार्ग पर परमिट हेतु आवेदनों पर वर्णित योजना हेतु विशेष रूप से मार्ग अधिसूचित होने के कारण केवल MMPPY बसों से आपत्ति मान्य किया गया है।

(ग) उक्त योजना के लाभुकों द्वारा यदि सामान्य मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है तब सामान्य मार्ग पर परिचालित बसों से आपत्ति मान्य किया गया है।

इस योजना से आच्छादित लाभुकों को परमिट हेतु आवेदन संबंधित सारी जानकारी देने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन: सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

(XIX) वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में मोबाईल नं0 अद्यतन कराने के संबंध में :- परिवहन विभाग, बिहार पटना द्वारा चालक अनुज्ञप्ति तथा वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र से मोबाईल नं0 लिंक नहीं रहने पर कार्रवाई करने का निदेश संसूचित है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में मोबाईल नं0 अद्यतन करा लें अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन: सभी परमिटधारी)

(XX) यात्री वाहनों में परमिट शर्तों के अनुरूप आवश्यक सामग्री/उपकरण उपलब्ध कराना :- सवारी गाडी में परमिट शर्त के अनुसार अग्निशामक उपकरण, प्राथमिक उपचार पेटी, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु सुरक्षित सीटें, आपातकालीन निकास द्वार, शिकायत पंजी, वाहन कक्ष की समुचित सफाई की व्यवस्था, अश्लील गाना बजाने पर निषेध आदि का प्रावधान है। परन्तु वाहनों में इन आवश्यक पहलुओं के अभाव में यात्री सुरक्षा/सुविधा प्रभावित होती है। अतः वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि अपने वाहन में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि उक्त का अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों के विरुद्ध जाँच कर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत परमिट शर्तों के उल्लंघन से संबंधित धाराओं के अधीन नियमानुसार जुर्माना/आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन: सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

(XXI) परमिट के नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन करने के संबंध में निर्णय :- परमिट नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं ऑनलाईन किये जाने वाले वैसे मामले :-

(i) जिसमें परमिट पर अंकित सभी भाया संबंधित मार्ग पर अच्छादित/अंकित हो तो उस मार्ग के अन्य ठहराव स्थल को बाईपास कर परमिटों का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ii) जिसमें अधिसूचित मार्ग पर अंकित भाया से पुराने परमिटों में अंकित कुछ भाया अतिरिक्त जुड़े हुए हैं, तो वैसे मामलों में संबंधित वाहन स्वामी के अनुरोध के आलोक में उनसे शपथ-पत्र के साथ सहमति पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त भाया को विलोपित करते हुए जाँचोपरान्त यथा उपयुक्त अधिसूचित मार्ग पर नवीकरण/प्रतिस्थापन किया जा सकेगा।

(iii) जिसमें अबतक मार्ग अधिसूचित नहीं हो पाया है उसे परिवहन विभाग, बिहार, पटना को मार्ग अधिसूचित करने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया जा सकेगा। इस तरह के मामले पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, की बैठक में आवेदनों के निष्पादन हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक)

18. स्थायी स्टेज कैरेज परमिट से संबंधित प्राधिकार का अन्य निर्णय :- (i) कतिपय वाहन स्वामीयों एवं ट्रांसपोर्ट एशोसिएशन के द्वारा सूचित किया गया है कि पर्व-त्योहार/मेला/विशेष प्रयोजन में यात्रियों

के आवागमन में काफी कठिनाई होती है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त सभी प्रकार के बसों को आवश्यकतानुसार स्पेशल परमिट निर्गत करने का निर्णय लिया जाता है। परमिट निर्गत करते समय यह देखा जाएगा कि दूरी के अनुसार अनावश्यक ठहराव कम से कम हो।

(ii) परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन अनुमान्य दूरी के अनुरूप किया जाना है, वाहन स्वामियों का दायित्व है कि निर्धारित समय सीमा में वाहनों को उच्च मॉडल से प्रतिस्थापन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

(iii) बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है, उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(iv) बिहार मोटरयान नियमावली-1922 के नियम-16(c) एवं 29(i) के अनुसार वाहन चालक तथा कंडक्टर का दायित्व है कि वाहन के यात्री कम्पार्टमेंट को साफ एवं स्वच्छ रखें जिससे यात्रियों के स्वास्थ्य-रक्षा सुनिश्चित हो सके, उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों/कंडक्टरों/वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


(v) किसी भी स्थिति में आवेदित समय-सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन नहीं किया जाएगा।


(vi) परमिट हेतु आवेदन में समय-सारणी को छोड़कर अन्य लिपिकीय भूल/त्रुटि को सुधार करते हुए जुर्माना के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

(vii) आगामी बैठक में अद्यतन शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) आवेदन संचिका में संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) परमिट संबंधी मामलों में जनहित एवं जीवनक्षति को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त के अलावे प्राधिकार द्वारा अन्य निर्णय भी लिए जा सकते हैं।

स्वच्छ एवं स्वस्थ व्यवस्था बनाने में वाहन स्वामियों, आपत्तिकर्ताओं एवं अन्य पक्षकारों से अपेक्षाओं के साथ अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।


अपर समाहर्ता (राजस्व),
-सह-
सदस्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।


आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक.....204

मुजफ्फरपुर, दिनांक...20/04/2026

प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।


प्रतिलिपि :- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/दरभंगा/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

क्षेत्रीय पाठ्यक्रम प्राधिकार, मुजफ्फरपुर कोषके

माह-मार्च-2026

दिनांक-25.03.2026 की कार्यवाही।

समय:-11:30 बजे पूर्वाह्न से,

स्थान:-आयुक्त कार्यालय, प्रकोष्ठ

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक दिनांक-25.03.2026 की कार्यावली।

पृष्ठ सं०

कार्यावली सं०-(1)	1	गत बैठक दिनांक 27.02.2026 एवं 13.03.2026 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन	परिशिष्ट-I
कार्यावली सं०-(2)	प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।		परिशिष्ट-II
	(I)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट - (01 से 28 दिन) तक।	
	(II)	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन) तक।	
	(III)	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)	
	(IV)	जनता मालवाहक का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)	
	(V)	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (एक वर्ष)।	
	(VI)	प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण एवं स्थायी वाहन प्रतिस्थापन किये गये परमिटों की सूची।	
	(VII)	अध्यक्षीय आदेश के आलोक में बैठक में सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित एवं रद्द किये गए परमिटों की सूची।	परिशिष्ट-III
कार्यावली सं०-(3)	(i)	बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार।	परिशिष्ट-IV

कार्यावली सं०-(1) परिशिष्ट-I गत बैठक दिनांक 27.02.2026 एवं 13.03.2026 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन ।		
क्रमांक	कार्यवाही	अनुपालन
1	कार्यवाही (3) बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय ।	अनुपालन किया जा रहा है।



कार्यावली संख्या-2(I-VII) परिशिष्ट-II

प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची:-दिनांक 28.02.2026 से 25.03.2026 तक।

1	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (01 से 28 दिन)-अस्थायी (विशेष) परमिट संख्या- BR2026-SPL-1929A तक।
2	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन)- अस्थायी परमिट संख्या - शून्य।
3	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
4	जनता मालवाहक हल्का वाहन/मध्यम वाहन एवं भारी वाहन का स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
5	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (01 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।

१

१

कार्यावली संख्या-2 (VI)		परिशिष्ट-II			
प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गये परमिटों की सूची।					
क्र०सं०	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	नवीकृत परमिट की वैधता	अभियुक्ति
1	ARUN KUMAR MISHRA	BR06PE7776	BR2021-SC-0348A	25-Feb-31	
2	VISHWAJIT MISHRA	BR06PE0072	BR2021-SC-0124A	1-Feb-31	
3	AMARTYA KUMAR	BR06PE8610	BR2021-SC-0504A	5-Mar-31	
4	AMARTYA KUMAR	BR06PE7851	BR2021-SC-0507A	5-Mar-31	
5	MINI DEVI	BR06PD1796	0426/08	26-Sep-28	
6	SAROJ DEVI	BR06PF7796	BR/299/2011	29-Mar-31	
7	AMARTYA KUMAR	BR06PE8609	BR2021-SC-0482A	4-Mar-31	

कार्यावली संख्या-2 (VI) परिशिष्ट-II

प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन परमिट से आवृत्त वाहनों के प्रतिस्थापन की सूची।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम	परमिट संख्या	परमिट पर आवृत्त वाहन संख्या	प्रतिस्थापित वाहन संख्या	अभियुक्ति
1	PREM KUMAR CHOUDHARY	0231/2014	BR33PA9507	BR06PC9551	
2	RAGHVENDRA NR YADAV	0461/2013	BR30PA6739	BR30P1168	
3	SHEET BASANT TRANSPORT PVT LTD	BR2023-SC-0076A	BR06PD9597	BR01PH5670	

2

1

कार्यावली संख्या-3(i) - परिशिष्ट-IV

मार्च- 2026

एजेण्डा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / विकान की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
1	श्री अफिल राज, पिता-श्री रमेश कुमार, पता-हरिदासपुर कौंटी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-	बी.आर.06 पी.एच.-7121 24.02.2026 मॉडल 2026	बी.आर.06 पी.एच.-7121 टैक्स-22.05.2026 फिटनेश-23.02.2028 इन्शुरेंस-06.03.2027 प्रदूषण-23.02.2027 वीएलटीडी-25.04.2028 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2768 साहेबगंज से मुजफ्फरपुर, भाया-मुसुरपुर, मोतिपुर, कौंटी। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। साहेबगंज प्र०-06:29, 12:30, 18:31 मुजफ्फरपुर प्र०-11:27, 16:58, 19:42	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
2	श्रीमती पुनम देवी, पति-श्री मनोज कुमार यादव, पता-बी0बी0 गंज भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- नितु राजा।	बी.आर. 06 पी.ई.-4021 21.08.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.-4021 टैक्स-15.05.2026 फिटनेश-26.02.2027 इन्शुरेंस-04.11.2026 प्रदूषण-09.12.2026 वीएलटीडी-11.12.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-0000/-	मार्ग संख्या-226 पुपरी से मुजफ्फरपुर, भाया-रायपुर, महुआगाछी, रुन्नी सैदपुर, जनार, कोरताहिया, जनार, झपहा, दोनपुर, सहबाजपुर, न्यु जिरोमाईल। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। पुपरी प्र०-05:57, 10:37, 14:25, 17:48 मुजफ्फरपुर प्र०-08:41, 11:59, 16:39, 19:22	1. आपत्तिकर्ता श्री प्रसून कुमार, वाहन संख्या-बी0आर0 30 पी0ए0 1639, परमित संख्या-बी0आर0 2025 एस0सी0 3047ए0, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी, वैधता-17.10.2030 आवेदक पुपरी प्र०-10:37, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-10:43 समय अन्तराल 06 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि वाहन संख्या बी0आर0 06 पी0एफ0 6219 का महुआगाछी प्रस्थान 11:00, आवेदक का महुआगाछी प्रस्थान 10:59 समय अन्तराल 01 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता श्री धमेन्द्र कुमार, वाहन संख्या-बी0आर0 30 पी0ए0 2426, परमित संख्या-बी0आर0 2024 एस0सी0 2485ए0, मार्ग संख्या-3755, पुपरी से मुजफ्फरपुर बैरिया, वैधता-12.11.2029 आवेदक महुआगाछी प्र०-18:18, आपत्तिकर्ता महुआगाछी प्र०-18:17 आवेदक रुन्नीसैदपुर प्र०-18:41, आपत्तिकर्ता रुन्नीसैदपुर प्र०-18:39 समय अन्तराल 01 एवं 02 मिनट।	1. बी0आर0 30 पी0ए0 1639 टैक्स-12.03.2026, फिटनेश-26.09.2027 इन्शुरेंस-26.05.2026, प्रदूषण-21.01.2027 वीएलटीडी-23.08.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं। बी0आर0 06 पी0एफ0 6219 टैक्स-29.06.2026, फिटनेश-14.04.2027 इन्शुरेंस-26.03.2026, प्रदूषण-18.04.2026 वीएलटीडी-10.05.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-1000/-	आवेदन वापस।		आवेदन वापस।

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निर्यात को तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अध्येक्षित	विवरण	निर्णय
3	श्रीमती पुनम देवी, पति-श्री मनोज कुमार यादव, पता-बी०बी० गज भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- नितु राजा।	बी.आर. 06 पी. डी-1123 08.09.2016 मॉडल 2016	बी.आर. 06 पी.डी-1123 टैक्स-05.06.2026 फिटनेश-26.09.2026 इन्शुरेंस-02.03.2027 प्रदूषण-01.07.2026 वीएलटीडी-11.12.2026 एच०एस०आर०पी०-हो। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3510 डाउन। मुजफ्फरपुर से पुपरी, भाया-न्यु जिरोगाईल, सहबाजपुर, दोनपुर, झपहा, कोरलहिया, जनार, रून्नीसैदपुर, महुआगाछी, रायपुर। प्रतिदिन तीन खेप जाना-अना। मुजफ्फरपुर प्र०-04.40, 09:17, 15:38 पुपरी प्र०-06:56, 12:20, 18:15	आपत्तिकर्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०सी० 6218, माह फरवरी के समय-सारणी प्रकाशन के अनुसार महुआगाछी प्र०-11-23, नहुआगाछी प्र०-11-21 समय अन्तराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह कहना है कि वाहन संख्या बी०आर० 06 पी०डी० 1123 का रून्नीसैदपुर प्रस्थान 07:51 एवं बी०आर० 06 पी०ए० 1855 का रून्नीसैदपुर 07:50 समय अन्तराल 01 मिनट।	बी०आर० 06 पी०सी० 6218 टैक्स-19.06.2026 फिटनेश-03.08.2026 इन्शुरेंस-18.04.2026 प्रदूषण-30.07.2026 वीएलटीडी-19.07.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	पिछली बैठक में आपत्तिकर्ता का आवेदन अस्वीकृत। बी०आर० 06 पी०डी० 1123 से सूचना दी गयी है। आपत्ति शुल्क अप्राप्त। सूचना अमान्य।		स्वीकृत।
4	श्री मिथलेश कुमार, पिता-श्री राघवेंद्र किशोर सिंह, पता-वार्ड नं०-7 रामजानकी मदीर मुरसंड, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 06 पी. डी-7735 08.08.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 06 पी.डी-7735 टैक्स-03.05.2026 फिटनेश-07.08.2027 इन्शुरेंस-03.08.2026 प्रदूषण-07.08.2026 वीएलटीडी-01.09.2027 एच०एस०आर०पी०-हो। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-226 पुपरी से मुजफ्फरपुर, भाया-रायपुर, महुआगाछी, रून्नीसैदपुर, जनार, कोरलहिया, जनार, झपहा, द्रोपपुर, सहबाजपुर, न्युजिरोगाईल। प्रतिदिन चार खेप जाना अना। पुपरी प्र०-04:56, 08:05, 12:48, 16:25 मुजफ्फरपुर प्र०-06:51, 10:57, 14:17, 17:49	1. आपत्तिकर्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार, वाहन संख्या-बी०आर० 30 पी०ए० 2426, परमिट संख्या-बी०आर० 2024 एस०सी० 2485ए०, मार्ग संख्या-3755, पुपरी से मुजफ्फरपुर बेरिया, वैधता-12.11.2029 रून्नीसैदपुर प्र०-05.41, रून्नीसैदपुर प्र०-05.40 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह कहना है कि आवेदित वाहन परमिट से आमत है जिसका पूर्व का परमिट प्रत्यर्पण नहीं किया गया है। 2. आपत्तिकर्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०सी० 6218, माह फरवरी के समय-सारणी प्रकाशन के अनुसार पुपरी प्र०-12.48, पुपरी प्र०-12.48 समय अन्तराल शून्य। आपत्तिकर्ता का यह कहना है कि बी०आर० 06 पी०डी० 2361 का रून्नीसैदपुर प्रस्थान 17:14, रून्नीसैदपुर प्रस्थान 17:13 समय अन्तराल 01 मिनट।	बी०आर० 30 पी०ए० 2426 टैक्स-30.04.2026 फिटनेश-14.01.2028 इन्शुरेंस-13.05.2026 प्रदूषण-07.02.2026 वीएलटीडी-25.01.2028 एच०एस०आर०पी०-हो। जुर्माना-नहीं।	आपत्तिकर्ता वाहन का कागजात मान्य नहीं। आपत्ति अमान्य।		स्वीकृत।
						बी०आर० 06 पी०सी० 6218 टैक्स-19.06.2026 फिटनेश-03.08.2026 इन्शुरेंस-18.04.2026 प्रदूषण-30.07.2026 वीएलटीडी-19.07.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	पिछली बैठक में आपत्तिकर्ता का आवेदन अस्वीकृत। आपत्ति अमान्य। बी०आर० 06 पी०डी० 2361 से सूचना दी गयी है। आपत्ति शुल्क अप्राप्त। सूचना अमान्य।		स्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
5	श्री अजीत कुमार, पिता-श्री रामराजीवन शाही, पता-भिखनपुरा सहबाजपुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 06 पी.ई.-2901 22.05.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.-2901 टैक्स-14.05.2026 फिटनेस-27.06.2027 इन्श्योरेंस-22.02.2027 प्रदूषण-12.06.2026 वीएलटीडी-15.05.2026 एच0एस0आर0पी0-हो। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2407 डाउन। बैरिया बस स्टैण्ड से पिपराही, भाया-न्यू जिरोमार्डल, मीनापुर, तरियानी, कुशहर, शिवहर। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। बैरिया बस स्टैण्ड प्र0-05:49, 08:48, 12:57, 18:30 पिपराही प्र0-07:05, 10:44, 15:04, 19:53	आपत्तिकर्ता श्री कौशल किशोर सिंह, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0ए0 7236, परमिट संख्या-बी0आर0 2024 एस0सी0 0020ए0, मार्ग संख्या-2407, पिपराही से बैरिया बस स्टैण्ड, वैधता-01.01.2029 आवेदक तरियानी प्र0-07:42, आपत्तिकर्ता तरियानी प्र0-07:44 समय अन्तराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि आवेदक के द्वारा परमिट प्रत्यर्पण नहीं किया गया है।	बी0आर0 06 पी0ए0 7236 टैक्स-03.05.2026 फिटनेस-19.07.2026 इन्श्योरेंस-30.09.2026 प्रदूषण-09.06.2026 वीएलटीडी-28.07.2026 एच0एस0आर0पी0-हो। जुर्माना-नहीं।	आवेदक तरियानी प्र0-07:42, आपत्तिकर्ता तरियानी प्र0-07:44 समय अन्तराल 02 मिनट। आपत्ति मान्य।		प्रथम खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
6	श्रीमती मधुमाला, पति-श्री विजय कुमार, पता-वार्ड नं0-2 शान्ति नगर डुमरा भागवतीपुर, जिला-सितामढी। बैनर का नाम-गिरजा ट्रेवल्स।	बी.आर. 30 पी.ए.-0188 12.06.2018 मॉडल 2018	बी.आर. 30 पी.ए.-0188 टैक्स-10.06.2026 फिटनेस-22.09.2026 इन्श्योरेंस-12.04.2026 प्रदूषण-07.03.2027 वीएलटीडी-29.08.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2494 लालबंदी से सीतामढी, भाया-महुलिया, नरगा, परमाहा, जगदर, परसीना, कुम्मा। प्रतिदिन दो खेप जाना-आना। लालबंदी प्र0-06:45, 14:59 सीतामढी प्र0-13:03, 16:55	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

2 3

एप्लीकेशन क्र.0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं डैनर	वाहन संख्या / निरक्षण की तिथि एवं मोडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अस्थुक्ति	विवरण	निर्णय
7	श्री रजनीश पाण्डेय, पिता-श्री नवल पाण्डेय, पता-औरसई, पो-लौरिया, थाना-गोविन्दगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण। डैनर का नाम-सिंह लोक।	बी.आर. 05 पी. -9601 06.08.2013 मॉडल 2013	बी.आर. 05 पी.-9601 टैक्स-02.05.2026 फिटनेश-13.01.2027 इन्शुरेंस-11.01.2027 प्रदूषण-29.11.2026 वीएलटीडी-01.01.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2412 सिकटा से लालगढ़, भाया-बलथर, बैशखवा, बेतिया। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। सिकटा प्र0-06.29, 10:04, 13:09, 16:50 लालगढ़ प्र0-08.19, 11:20, 15:30, 17:43	आपत्तिकर्ता श्री सुभाष चन्द्र तिवारी का कहना है कि आवेदित वाहन परमिट से आवृत है जबकि प्राधिकार के नियमानुसार परमिट प्रत्यर्पन के बाद ही आवेदन किया जा सकता है।		समय सारणी पर आपत्ति नहीं। आपत्ति अमान्य।		स्वीकृत।
8	श्री विकास रजन, पिता-श्री विरेन्द्र प्रसाद यादव, पता-अगरपुर लालगंज, जिला-बैशाली। डैनर का नाम-हर हर महादेव।	बी.आर. 06 पी. जी.-4519 08.10.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी.-4519 टैक्स-07.04.2026 फिटनेश-07.10.2026 इन्शुरेंस-07.10.2026 प्रदूषण-06.11.2026 वीएलटीडी-06.01.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2910 नवलपुर से मीठापुर पटना, भाया-बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़पुर, अरेराज, खजुरिया, कंसरिया, देबरिया, मणिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। नवलपुर प्र0-02:36 मीठापुर पटना प्र0-18:01	आपत्तिकर्ता श्री सुनिल कुमार चौबे, वाहन संख्या-बी0आर0 05 पी0बी0 6486, परमिट संख्या-बी0आर0 2022 एस0सी0 1065ए0, मार्ग संख्या-2910, नवलपुर से पटना, वैधता-01.05.2027 आवेदक लालगंज प्र0-19:34, आपत्तिकर्ता लालगंज प्र0-19:32 समय अन्तराल 02 मिनट।	बी0आर0 05 पी0बी0 6486 टैक्स-15.03.2026 फिटनेश-28.07.2027 इन्शुरेंस-30.06.2026 प्रदूषण-28.07.2026 वीएलटीडी-16.08.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	आवेदक लालगंज प्र0-19:34, आपत्तिकर्ता लालगंज प्र0-19:32 समय अन्तराल 02 मिनट। समय अन्तराल पर आपत्ति मान्य।		अस्वीकृत।
9	श्री आशोष मनोहर, पिता-श्री सतीश कुमार सिंह, पता-ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा रोड एम0आई0टी0 मंदाप गली, जिला-मुजफ्फरपुर। डैनर का नाम-मनोहर।	बी.आर. 06 पी. एच.-4511 21.02.2026 मॉडल 2026	बी.आर. 06 पी.एच.-4511 टैक्स-18.05.2026 फिटनेश-20.02.2029 इन्शुरेंस-18.02.2027 प्रदूषण-20.02.2027 वीएलटीडी-26.02.2028 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4880 पटना से भिठामोड़ भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट सरैया, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, झपहों, रुन्नीसैदपुर, गाड़ा, बोहा चौक, दुमरा, सीतामढ़ी सुरसंड। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। पटना प्र0-06:21 भिठामोड़ प्र0-14:33	1. आपत्तिकर्ता श्री निरज कुमार, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0सी0 2261, परमिट संख्या-बी0आर0 2024 एस0सी0 2076ए0, मार्ग संख्या-3806, महुआवा से मुजफ्फरपुर, वैधता-07.10.2029 का कहना है कि भगवानपुर से मुजफ्फरपुर की दूरी 02 कि0मी0 दशाया गया एवं दूरी तय करने में 08 मिनट का समय ले रहे हैं। 2. आपत्तिकर्ता श्रीमती नवनीता कुमारी, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0एफ0 7387, परमिट संख्या-बी0आर0 2023 एस0सी0 2903ए0, मार्ग संख्या-4820 डाउन, पटना से भिठामोड़, वैधता-08.10.2028 आवेदक भिठामोड़ प्र0-14:33, आपत्तिकर्ता भिठामोड़ प्र0-14:38 समय अन्तराल 05 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0सी0 2261 टैक्स-18.05.2026 फिटनेश-25.06.2026 इन्शुरेंस-11.04.2026 प्रदूषण-23.09.2026 वीएलटीडी-20.07.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं। 2. बी0आर0 06 पी0एफ0 7387 टैक्स-13.04.2026 फिटनेश-11.07.2027 इन्शुरेंस-18.05.2026 प्रदूषण-19.06.2026 वीएलटीडी-09.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	आवेदक लालगंज प्र0-19:34, आपत्तिकर्ता लालगंज प्र0-19:32 समय अन्तराल पर आपत्ति मान्य। आवेदक भिठामोड़ प्र0-14:33, आपत्तिकर्ता भिठामोड़ प्र0-14:38 समय अन्तराल 05 मिनट। आपत्ति मान्य।		पहले आपत्ति के आलोक में भगवानपुर ठहराव नहीं एवं आवेदक के कथन के आलोक में रुन्नीसैदपुर टॉल प्लाजा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निर्गत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / विक्रम की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अयुक्ति	विवरण	निर्णय
10	श्री गणेश कुमार, पिता-श्री मोहन प्रसाद, पता-राजेन्द्र नगर मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-भवानी।	बी.आर. 06 पी. डी.-96886 03.05.2018 मॉडल 2018	बी.आर. 08 पी.डी.-9686 टैक्स-02.08.2026 फिटनेस-23.08.2026 इन्शुरेंस-30.07.2026 प्रदूषण-02.03.2027 वीएलटीडी-15.03.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3598 घोड़ासाहन से मोतिहारी, भाया-ढाका। प्रतिदिन पाँच खेप जाना-आना। घोड़ासाहन प्र०-05:03, 10:15, 15:36, 18:49, 21:15, मोतिहारी प्र०-06:38, 12:45, 17:23, 20:12, 22:25	आपत्तिकर्ता श्री सुमथ सौरभ, वाहन संख्या-बी0आर0 05 जी0ए0 9896, परमिट संख्या-120/2019, मार्ग संख्या-2619, पटना से घोड़ासाहन, वैधता-11.04.2029 आवेदक घोड़ासाहन प्र०-21:15, आपत्तिकर्ता घोड़ासाहन प्र०-21:19 आवेदक ढाका प्र०-21:51, आपत्तिकर्ता ढाका प्र०-21:49 समय अन्तराल 04 एवं 02 मिनट।	बी0आर0 05 जी0ए0 9896 टैक्स-25.03.2026 फिटनेस-20.03.2027 इन्शुरेंस-09.09.2026 प्रदूषण-14.10.2026 वीएलटीडी-16.03.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक घोड़ासाहन प्र०-21:15, आपत्तिकर्ता घोड़ासाहन प्र०-21:19 आवेदक ढाका प्र०-21:51, आपत्तिकर्ता ढाका प्र०-21:49 समय अन्तराल 04 एवं 02 मिनट। आपत्ति मान्य।		आवेदक के अधिवक्ता के अनुरोध पर आवेदन वापस।
11	श्री सत्येन्द्र नाथ मिश्रा, पिता-स्व० ढाकुर मिश्रा, पता-अजय कुमार वर्मा नर्सिंगहोम मोतिहारी गोपालपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-एम0पी0पी0वाइ०	बी.आर. 05 पी. डी.-7125 29.03.2026 मॉडल 2026	बी.आर. 05 पी.डी.-7125 टैक्स-29.03.2026 फिटनेस-02.04.2026 इन्शुरेंस-03.04.2026 प्रदूषण-06.04.2026 वीएलटीडी-04.04.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-MPPY 182 संग्रामपुर प्रखंड से मोतिहारी, भाया-इजरा, नवादा, पशुपतिनाथ चौक, गोविन्दगंज, अरैराज। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। संग्रामपुर प्रखंड प्र०-05:14, 08:58, 12:44, 16:44 मोतिहारी प्र०-06:50, 10:25, 14:58, 18:47	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

एनसेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बैनर	वाहन संख्या/पिकन की दिशि एच मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अयुक्ति	विवरण	निर्णय
12	श्री राजीव कुमार तिवारी, पिता-श्री तेज नारायण तिवारी, पता-रतनपुर वार्ड नं०-11, थाना-पिपराही, जिला-शिवहर। बैनर का नाम- विश्वजीत।	बी.आर. 30 पी. ए.-2427 08.11.2029 मॉडल 2019	बी.आर. 30 पी.ए.-2427 टेक्स-30.04.2026 फिटनेश-20.11.2027 इन्शुरेंस-03.05.2026 प्रदूषण-12.04.2026 वीएलटीडी-30.07.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना- नहीं।	मार्ग संख्या-3465 बेलाघाट से मुजफ्फरपुर, भाया-पिपराही, शिवहर, कुशहर, तरियानी चौक, सिवाईपट्टी, बनघाडा, मीनापुर, गंजबाजार, झपटौं, मिखनपुर, साहेबगंज, जीरोमाईल। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। बेलाघाट प्र०-05:08, 09:53, 13:32 मुजफ्फरपुर प्र०-07:40, 11:42, 16:05	1. आपत्तिकर्ता श्री अजीत कुमार का कहना है कि आवेदक के द्वारा जो समय-सारणी दिया गया है उसमें बेलाघाट से मुजफ्फरपुर के बीच न साहेबगंज है न ही मिखनपुरा है, जबकि साहेबगंज मोतिहारी रूट में पड़ता है। 2. आपत्तिकर्ता श्री विजय कुमार सिंह, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0जी0 6636, परमिट संख्या-बी0आर0 2025 एस0सी0 1630ए0, मार्ग संख्या-2419, शिवहर से मुजफ्फरपुर, वैधता-01.06.2030 आवेदक तरियानी चौक प्र०-10:47, आपत्तिकर्ता तरियानी चौक प्र०-10:48 आवेदक मीनापुर प्र०-14:44, आपत्तिकर्ता मीनापुर प्र०-14:42 समय अन्तराल 01 एवं 02 मिनट।	2. बी0आर0 06 पी0जी0 6636 टेक्स- 29.03.2026 फिटनेश-03.10.2026 इन्शुरेंस-02.10.2026 प्रदूषण-10.10.2026 वीएलटीडी-29.10.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना- नहीं।	आपत्तिकर्ता का परमिट की छायाप्रति एवं बहान के कागजात संलग्न नहीं आपत्ति अमान्य। आवेदक तरियानी चौक प्र०-10:47, आपत्तिकर्ता तरियानी चौक प्र०-10:48 आवेदक मीनापुर प्र०-14:44, आपत्तिकर्ता मीनापुर प्र०-14:42 समय अन्तराल 01 एवं 02 मिनट। आपत्ति मान्य।		द्वितीय एवं तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
13	श्री अक्षय केशोर चौधरी, यु०/एल०ए०, बी०एस०आर०टी०सी०, पिता-श्री रामस्वार्थ चौधरी, पता-वार्ड नं०-10 कालागार्डेन महसूल रामपुर, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- बी०एस०आर०टी०सी०	बी.आर. 06 पी.ई.-7311 08.06.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.-7311 टेक्स-07.06.2026 फिटनेश-03.07.2027 इन्शुरेंस-16.06.2026 प्रदूषण-16.05.2026 वीएलटीडी-30.06.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4880 डाउन। भिठामोड से पटना, भाया-सुरसड, सीतामढ़ी, लुमरा, बोहाचोक, गाढा, रूनीसैदपुर, जपहों, मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, सरैया, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। भिठामोड प्र०-09:15 पटना प्र०-18:20	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निवेशन की तिथि एवं मोडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अमयुक्ति	विवरण	निर्णय
14	श्री कुन्दन कुमार, पिता-श्री वकील सिंह, पता-तिकोनी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-एम०पी०पी०वाई	बी.आर. 05 पी.बी.-7124 डैक्स-29.03.2026 फिटनेस-02.04.2026 इन्श्युरेंस-02.04.2026 प्रदूषण-13.05.2026 वीएलटीडी-04.04.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	बी.आर. 05 पी.बी.-7124 डैक्स-29.03.2026 फिटनेस-02.04.2026 इन्श्युरेंस-02.04.2026 प्रदूषण-13.05.2026 वीएलटीडी-04.04.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-MPPY 2024 छाँड़ादानो से बेटिया भाया-आदापुर, रक्सौल ढाला, नहर चौक, रामगढवा, सुगौली, छपवा। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। छाँड़ादानो प्र०-07.05, 12:55, 17:36 बेटिया प्र०-11.05, 15:50, 19:40	1. आपत्तिकर्ता श्री शशि नृषण प्रसाद यु/एल०ए० बी०एस०आर०टी०सी०, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०ई० 1632, परमिट संख्या-247/2019, मार्ग संख्या-2656, रक्सौल से बेटिया वैधता-07.08.2029 आवेदक बेटिया प्र०-15:50, आपत्तिकर्ता बेटिया प्र०-15:52 समय अन्तराल 02 मिनट।	1. बी०आर० 06 पी०ई० 1632 डैक्स-15.02.2027 फिटनेस-14.02.2027 इन्श्युरेंस-11.02.2027 प्रदूषण-22.09.2026 वीएलटीडी-23.02.2027 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	आवेदन एम०पी०पी०वाई के अधीन। आपत्ति अमान्य।		स्वीकृत।
					2. आपत्तिकर्ता श्री विजय कुमार, वाहन संख्या-बी०आर० 05 पी०बी० 8266, परमिट संख्या-बी०आर० 2025 एस०सी० 1442ए०, मार्ग संख्या-2656 डाचन, बेटिया से रक्सौल वैधता-15.05.2030 आवेदक रक्सौल ढाला प्र०-13:35, आपत्तिकर्ता रक्सौल ढाला प्र०-13:39 समय अन्तराल 04 मिनट।	2. बी०आर० 05 पी०बी० 8266 डैक्स-09.12.2026 फिटनेस-10.03.2027 इन्श्युरेंस-06.03.2027 प्रदूषण-09.03.2027 वीएलटीडी-09.04.2027 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।			
15	श्री कृष्णा कुमार मिश्रा, पिता-स्व० गिरजा मिश्रा, पता-भेडियाही सोती, पो०-हरिदासपुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 06 पी.सी.-5347 डैक्स-24.03.2015 मॉडल 2015	बी.आर. 06 पी.सी.-5347 डैक्स-17.06.2026 फिटनेस-04.04.2026 इन्श्युरेंस-20.03.2027 प्रदूषण-13.04.2026 वीएलटीडी-30.11.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4695 मुजफ्फरपुर से गोपालगंज, भाया-पहाड़पुर, मोतीपुर, चकिया, केशरिया, खजुरिया, महम्मदपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। मुजफ्फरपुर प्र०-07.09 गोपालगंज प्र०-13.39	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बेनर	वाहन संख्या / निम्नलिखित की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
16	श्री संतोष कुमार साह, पिता-श्री लक्ष्मण साह, पता-धबधबा गमहरिया, थाना-खुर्द, जिला-पूर्वी चम्पारण। बेनर का नाम-एम0पी0पी0वाई	बी.आर. 05 पी. बी.-8798 19.02.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 05 पी.बी-8798 टैक्स-18.05.2026 फिटनेस-18.02.2027 इन्श्युरेंस-10.02.2027 प्रदूषण-17.02.2027 वीएलटीडी-05.03.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-MPPY 2022 मटियरवा बोर्डर से बेतिया भाया-आदापुर, रक्सौल ढाला, नहर चौक, रामगढ़वा, सुगौली, छपवा। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। मटियरवा बोर्डर प्र0-07:05, 11:35, 16:40 बेतिया प्र0-09:40, 14:35, 19:15	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
17	श्री राजु कुमार, पिता-श्री राधेलाल प्रसाद साह, पता-विशुनपुर सरैया, पी0+थाना-देवरिया, जिला-मुजफ्फरपुर। बेनर का नाम-वर्मा।	बी.आर. 06 पी. बी.-7312 30.04.2013 मॉडल 2013	बी.आर. 06 पी.बी-7312 टैक्स-22.04.2026 फिटनेस-16.02.2027 इन्श्युरेंस-12.03.2026 प्रदूषण-25.07.2026 वीएलटीडी-11.02.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2697 रामलीला गाछी से देवरिया, भाया-धरफरी, विशुनपुर सरैया, बाडादाउद, पारू, मणिकपुर, करजा, भगवानपुर चौक, मुजफ्फरपुर बैरिया, ब्रहमपुरा, संजय सिनेमा, बडकागोंव, जगिरिया, मंगुरहियों। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। रालीला गाछी प्र0-08:15 देवरिया प्र0-12:50	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

r d

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बेंचर	वाहन संख्या/निष्पन्न की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्बुक्ति	विवरण	निर्णय
18	श्री प्रकाश कुमार सिंह, पिता-श्री उमाशंकर सिंह, पता-वार्ड नं०-6 शिव मंदिर बाड़ा हरपुर गायघाट, थाना-सेरहवा हरसिद्धि, जिला-पूर्वी चम्पारण। बेंचर का नाम-एम०एम०पी०पी०वाइ	बी.आर. 05 पी.बी.-8291 13.02.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 05 पी.बी.-8291 टैक्स-12.05.2026 फिटनेश-12.02.2027 इन्सुरेंस-09.02.2027 प्रदूषण-13.02.2027 वीएलटीडी-05.03.2027 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-MPPY 2027 नोनेया से बेतिया, भाया-पंडितपुर, यादवपुर, हरसिद्धि, मठलोहियार, गायघाट, कचहरी चौक, मोतिहारी बस स्टैण्ड, छपवा। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। नोनेया प्र०-06:10, 12:07, 16:50 बेतिया प्र०-09:54, 14:40, 19:31	आपत्तिकर्ता श्री सुन्ध सौरभ वास्ते अकिता राज, वाहन संख्या-बी०आर० 31 पी०ए० 8696, परमिट संख्या-बी०आर० 2020 एस०सी० 0406ए०, मार्ग संख्या-4752 डाउन, पटना से बेतिया वैधता-08.06.2030 आवेदक मोतिहारी प्र०-08:14, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-08:14 समय अन्तराल शून्य।	बी०आर० 31 पी०ए० 8696 टैक्स-27.04.2026 फिटनेश-27.02.2028 इन्सुरेंस-19.06.2026 प्रदूषण-23.01.2027 वीएलटीडी-25.02.2027 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदन एम०पी०पी०वाइ के अधीन। आपत्ति अमान्य।		स्वीकृत।
19	मो० शमसाद हुसैन, पिता-मो० साफी, पता-वार्ड नं०-24 महावत टोली, पी०+थाना-बेतिया, जिला-पश्चिम चम्पारण। बेंचर का नाम-जिश्नु ट्रेवल्स।	बी.आर. 22 पी.-8969 17.11.2016 मॉडल 2016	बी.आर. 22 पी.-8969 टैक्स-27.04.2026 फिटनेश-15.10.2026 इन्सुरेंस-13.07.2026 प्रदूषण-13.10.2026 वीएलटीडी-02.11.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3817 पचरौता से बेतिया, भाया-जसौली, सिसवा, मंगहा, इनरवा, मैनाटाड, बल्थर, बैशखवा, शिवाघाट, बेतिया, छावनी चौक। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। पचरौता प्र०-04:03, 08:26, 03:12 बेतिया प्र०-06:32, 01:27, 17:45	1. आपत्तिकर्ता श्री आयुष शाही वास्ते जशिलिका शाही, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०डी० 9466, परमिट संख्या-बी०आर० 2021 एस०सी० 2813ए०, मार्ग संख्या-3611, वासी से जसौली, वैधता-22.11.2026 आवेदक बलथर प्र०-09:52, आपत्तिकर्ता बलथर प्र०-09:54 समय अन्तराल 02 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता श्री रुपेश कुमार सिंह, वाहन संख्या-बी०आर० 22 पी०ए० 7451, परमिट संख्या-बी०आर० 2025 एस०सी० 3053ए०, मार्ग संख्या-2412, सिकटा से लालगढ़, वैधता-20.10.2030 आवेदक बेतिया प्र०-17:46, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-17:45 समय अन्तराल शून्य। 3. आपत्तिकर्ता श्री सुभाष चन्द्र तिवारी वास्ते जयन्ती तिवारी का कहना है कि जिला परिवहन पदाधिकारी का ज्ञापांक-983 दिनांक-27.08.2025 के द्वारा मंगहा से सिसवा के बीच की दूरी 1.4 कि०मी० दिया गया। जिसमें प्रथम खेप में सिसवा से मंगहा के बीच की दूरी 4 कि०मी० दिखाया गया है तथा समय 12 मिनट दिया गया है जबकि दूरी 1.4 कि०मी० है। पुनः बेतिया से वापस जाने में 4 कि०मी० दिया गया है और समय 8 मिनट दिया गया है।	1. बी०आर० 06 पी०डी० 9466 टैक्स-24.05.2026 फिटनेश-21.02.2027 इन्सुरेंस-06.12.2026 प्रदूषण-29.01.2027 वीएलटीडी-03.02.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं। 2. बी०आर० 22 पी०ए० 7451 टैक्स-29.03.2026 फिटनेश-13.04.2027 इन्सुरेंस-30.03.2026 प्रदूषण-13.04.2026 वीएलटीडी-29.04.2027 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक बलथर प्र०-09:52, आपत्तिकर्ता बलथर प्र०-09:54 समय अन्तराल 02 मिनट। आपत्ति मान्य। आवेदक बेतिया प्र०-17:46, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-17:45 समय अन्तराल शून्य। आपत्ति मान्य। दूरी की जाँच।		द्वितीय एवं तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत एवं दूरी की पश्चात निर्गत।

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अग्युक्ति	विवरण	निर्णय
20	श्रीमती सरस्वती देवी, पति-स्व० रामाकान्त मिश्रा, पता-भेड़ियाही सोती कॉटी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-शीत बसंत।	वी.आर. 06 जी.बी.-9896 11.08.2015 मॉडल 2015	वी.आर. 06 जी.बी.-9896 टैक्स-10.05.2026 फिटनेश-12.02.2027 इन्सुरेंस-10.02.2027 प्रदूषण-06.06.2026 वीएलटीडी-17.02.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4756 पटना से मोतिहारी, भाया-हाजीपुर, ससाय, लालगंज, जलकौलीघाट, फकूली, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर, पहाडपुर, मोतिपुर, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपराकोटी। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। पटना प्र०-09:51 मोतिहारी प्र०-18:43	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
21	श्री शम्भु राय, पिता-रव० जुगेश्वर राय, पता-रसुलपुर सलीम, पो०-भिखनपुर, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-राधे कुष्णा।	न्यु बस वी०आर० 06 पी०एच० 9761 13.03.2026 मॉडल 2026	न्यु बस वी०आर० 06 पी०एच० 9761 टैक्स-29.04.2026 फिटनेश-12.03.2028 इन्सुरेंस-05.03.2027 प्रदूषण-12.03.2027 वीएलटीडी-03.05.2028 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2471 सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, भाया-बोहा, गाढा, सैदपुर, झपहा, दोगपुर, सहबाजपुर। प्रतिदिन पाँच खेप जाना-आना। सीतामढ़ी प्र०-02:40, 06:19, 11:24, 14:28, 19:38 मुजफ्फरपुर प्र०-05:09, 07:34, 12:41, 17:40, 20:53	1. आपत्तिकर्ता आर०एच०डी०सी० (ओ०पी०सी०) प्रा०लि०, वाहन संख्या-वी०आर० 06 पी०एच० 4721, परमिट संख्या-वी०आर० 2024 एस०सी० 2146ए०, मार्ग संख्या-4821 डाउन, सीतामढ़ी से पटना, वैधता-08.10.2029 आवेदक सीतामढ़ी प्र०-14:28, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-14:33 समय अन्तराल 05 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता श्री निरज कुमार वारसे चंदन कुमार, वाहन संख्या-वी०आर० 06 पी०ई० 9761, परमिट संख्या-271/2019, मार्ग संख्या-3587, बेला से पटना, वैधता-05.09.2029 आवेदक सीतामढ़ी प्र०-06:19, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-06:22 समय अन्तराल 03 मिनट। 3. आपत्तिकर्ता श्री बलिनंद राय पार्टनर अमर ज्योति ट्रेवलस, वाहन संख्या-वी०आर० 06 पी०वी० 3051, परमिट संख्या-वी०आर० 2022 एस०सी० 0395ए, मार्ग संख्या-4822 सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, वैधता-20.02.2027 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-07:34, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-07:33 समय अन्तराल 01 मिनट।	1. वी०आर० 06 पी०एच० 4721 टैक्स-20.04.2026 फिटनेश-28.10.2026 इन्सुरेंस-03.02.2027 प्रदूषण-19.10.2026 वीएलटीडी-29.12.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-22500/- 2. वी०आर० 06 पी०ई० 9761 टैक्स-27.05.2026 फिटनेश-17.07.2027 इन्सुरेंस-15.06.2026 प्रदूषण-03.06.2026 वीएलटीडी-13.07.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं। 3. वी०आर० 06 पी०वी० 3051 टैक्स-09.06.2026 फिटनेश-18.10.2026 इन्सुरेंस-19.10.2026 प्रदूषण-12.08.2026 वीएलटीडी-31.01.2027 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	जुर्माना जमा नहीं होने के कारण आपत्ति अमान्य। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-06:19, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-06:22 समय अन्तराल 03 मिनट। आपत्ति अमान्य। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-07:34, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-07:33 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्ति मान्य।		द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निर्माण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
22	श्री प्रमंजन कुमार ठाकुर, पिता-श्री चन्द्रशेखर ठाकुर, पता-भवानीपुर जिरात शास्त्री नगर, पी०-छत्तीगी, थाना-मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-शीत बसंत।	बी.आर. 05 पी -9581 08.08.2013 मॉडल 2013	बी.आर. 06 पी. -9581 टैक्स-23.04.2026 फिटनेश-01.08.2026 इन्शुरेंस-20.10.2026 प्रदूषण-15.10.2026 वीएलटीडी-31.07.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3588 घोड़ासाहन से मोतिहारी, भाया-ढाका। प्रतिदिन दो खेप जाना-आना घोड़ासाहन प्र०-09:32, 14:57 मोतिहारी प्र०-13:27, 18:19	1. आपत्तिकर्ता श्री राजीव रजन, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0डी0 9996, परमिट संख्या-बी0आर0 2021 एच0सी0 1007ए0, मार्ग संख्या-3526, बैरगिनिया से मोतिहारी, वैधता-07.06.2026 आवेदक मोतिहारी प्र०-13:27, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-13:27 समय अन्तराल शून्य। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि शीत बसंत कम्पनी को पूर्व के अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिनांक-23.12.2023 के पत्रांक-6632 के आलोक में किसी तरह के आवेदन पर रोक लगाया गया है। मामला राजस्व का है।	1. बी0आर0 06 पी0डी0 9996 टैक्स-05.06.2026 फिटनेश-05.03.2028 इन्शुरेंस-21.02.2027 प्रदूषण-13.10.2026 वीएलटीडी-04.03.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक मोतिहारी प्र०-13:27, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-13:27 समय अन्तराल शून्य। आपत्ति मान्य।		आवेदक का कथन है कि आवेदित समय-सारणी उनके पूर्व के परमिट 340/2011 के समान है। पूर्व के परमिट के मिलान के पश्चात निर्गत।
					2. आपत्तिकर्ता श्रीमती आशा देवी, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0ई0 8696, परमिट संख्या-बी0आर0 2021 एच0सी0 0345ए0, मार्ग संख्या-3588, घोड़ासाहन से मोतिहारी, वैधता-26.02.2031 आवेदक मोतिहारी प्र०-18:19, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-18:23 समय अन्तराल 04 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि शीत बसंत कम्पनी को पूर्व के अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिनांक-23.12.2025 के पत्रांक-6632 के आलोक में किसी तरह के आवेदन पर रोक लगाया गया है। मामला राजस्व का है।	2. बी0आर0 06 पी0ई0 8696 टैक्स-13.06.2026 फिटनेश-01.05.2026 इन्शुरेंस-12.03.2027 प्रदूषण-13.09.2026 वीएलटीडी-23.08.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक मोतिहारी प्र०-18:19, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-18:23 समय अन्तराल 04 मिनट। आपत्ति मान्य।		
					3. आपत्तिकर्ता श्रीमती आशा देवी, वाहन संख्या-बी0आर0 05 एच0 2496, परमिट संख्या-0502/2013, मार्ग संख्या-3608, घोड़ासाहन से मोतिहारी, वैधता-08.10.2028 आवेदक घोड़ासाहन प्र०-14:57, आपत्तिकर्ता घोड़ासाहन प्र०-15:00 समय अन्तराल 03 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि शीत बसंत कम्पनी को पूर्व के अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिनांक-28.12.2023 के पत्रांक-6632 के आलोक में किसी तरह के आवेदन पर रोक लगाया गया है। मामला राजस्व का है।	3. बी0आर0 05 एच0 2496 टैक्स-27.05.2026 फिटनेश-13.10.2026 इन्शुरेंस-29.11.2026 प्रदूषण-13.09.2026 वीएलटीडी-11.11.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक घोड़ासाहन प्र०-14:57, आपत्तिकर्ता घोड़ासाहन प्र०-15:00 समय अन्तराल 03 मिनट। आपत्ति मान्य।		
					4. आपत्तिकर्ता श्री सजय कुमार वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0बी0 7086, परमिट संख्या-000197/2014, मार्ग संख्या-3588, घोड़ासाहन से मोतिहारी, वैधता-29.09.2029 आवेदक ढाका प्र०-15:41, आपत्तिकर्ता ढाका प्र०-15:42 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि शीत बसंत कम्पनी को पूर्व के अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिनांक-28.12.2023 के पत्रांक-6632 के आलोक में किसी तरह के आवेदन पर रोक लगाया गया है। मामला राजस्व का है।	4. बी0आर0 06 पी0बी0 7086 टैक्स-10.04.2026 फिटनेश-15.06.2026 इन्शुरेंस-04.11.2026 प्रदूषण-19.09.2026 वीएलटीडी-10.06.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक ढाका प्र०-15:41, आपत्तिकर्ता ढाका प्र०-15:42 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्ति मान्य।		

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अग्युक्ति	विवरण	निर्णय
23	श्री राकेश कुमार मिश्रा, पिता-रघु इन्द्रदेव मिश्रा, पता-बलहा, पो०-श्रमा, थाना-गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-जय माता दी।	बी.आर. 06 पी.बी.-2676 14.08.2012 मॉडल 2012	बी.आर. 06 पी.बी.-2676 टैक्स-13.05.2026 फिटनेस-26.02.2027 इन्श्युरेंस-22.02.2027 प्रदूषण-01.01.2027 वीएलटीडी-20.12.2026 एच०एस०आर०पी०-हो। जुमाना-नही।	मार्ग संख्या-415 डाउन। दरमंगा से मुजफ्फरपुर, भाया-बेनिबाद। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। दरमंगा प्र०-06:55, 11:31, 16:59 मुजफ्फरपुर प्र०-08:25, 15:25, 19:44	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
24	श्री राजीव रंजन, पिता-श्री अनिरुद्ध प्रसाद, पता-भवानीपुर जिरात, पो०-छतौनी मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-भवानी।	बी.आर. 06 पी.डी.-6896 20.12.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 06 पी.डी.-6896 टैक्स-14.06.2026 फिटनेस-17.12.2027 इन्श्युरेंस-12.01.2027 प्रदूषण-25.06.2026 वीएलटीडी-15.12.2026 एच०एस०आर०पी०-हो। जुमाना-नही।	मार्ग संख्या-3588 घोड़ासाहन से मोतिहारी, भाया-ढाका। प्रतिदिन दो खेप जाना-आना। घोड़ासाहन प्र०-01:21, 14:40 मोतिहारी प्र०-05:59, 17:41	आपत्तिकर्ता श्री प्रभजन कुमार टाकुर, वाहन संख्या-बी०आर० 05 पी०बी० 8430, परमिट संख्या-बी०आर० 2026 एस०सी० 2736ए०, मार्ग संख्या-3588, घोड़ासाहन से मोतिहारी, वैधता-05.09.2030 आवेदक घोड़ासाहन प्र०-01:21, आपत्तिकर्ता घोड़ासाहन प्र०-01:21 समय अन्तराल शून्य।	बी०आर० 05 पी०बी० 8430 टैक्स-23.07.2026 फिटनेस-28.04.2027 इन्श्युरेंस-24.04.2026 प्रदूषण-28.04.2026 वीएलटीडी-14.05.2027 एच०एस०आर०पी०-हो। जुमाना-नही।	आवेदक घोड़ासाहन प्र०-01:21, आपत्तिकर्ता घोड़ासाहन प्र०-01:21 समय अन्तराल शून्य। आपत्ति मान्य।		प्रथम खेप कटाव के साथ स्वीकृत।

D A

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बेंचर	वाहन संख्या / निरक्षण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अनुक्ति	विवरण	निर्णय
25	श्रीमती सुनिता सिन्हा, पति-श्री अनिल सिंह, पता-कोटा, पौ०-सुस्ता टोक कोटा, थाना-पिरोछा, जिला-मुजफ्फरपुर। बेंचर का नाम-नहीं।	बी.आर. 06 पी.ई.-5429 टैक्स-21.04.2026 फिटनेस-23.11.2027 इन्शुरेंस-04.01.2027 प्रदूषण-21.06.2026 वीएलटीडी-13.11.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-30000/-	बी.आर. 06 पी.ई.-5429 टैक्स-21.04.2026 फिटनेस-23.11.2027 इन्शुरेंस-04.01.2027 प्रदूषण-21.06.2026 वीएलटीडी-13.11.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-30000/-	मार्ग संख्या-4786 सुगिया से मुजफ्फरपुर, भाया-शिवहर, तरियानी, मीनापुर। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। सुगिया प्र०-05:28, 08:58, 12:58, 16:52 मुजफ्फरपुर प्र०-07:37, 11:06, 15:14, 20:06	1. आपत्तिकर्ता श्री आदित्य सिंह, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0जी0 9084, परमिट संख्या-बी0आर0 2026 एस0सी0 0232ए0, मार्ग संख्या-4786, सुगिया से मुजफ्फरपुर, वैधता-28.01.2031 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-11:06, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-11:10 समय अन्तराल 04 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि अन्य वाहन संख्या बी0आर0 06 पी0जी0 9116, परमिट संख्या-बी0आर0 2026 एस0सी0 0248ए0, मार्ग संख्या-4786, सुगिया से मुजफ्फरपुर, वैधता-01.02.2031 आवेदक मीनापुर प्र०-10:17, आपत्तिकर्ता मीनापुर प्र०-10:17 समय अन्तराल शून्य।	1. बी0आर0 06 पी0जी0 9084 टैक्स-23.06.2026, फिटनेस-25.11.2027 इन्शुरेंस-23.11.2026, प्रदूषण-25.11.2026 वीएलटीडी-30.11.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं। बी0आर0 06 पी0जी0 9116 टैक्स-14.05.2026, फिटनेस-16.11.2027 इन्शुरेंस-16.11.2026, प्रदूषण-16.11.2026 वीएलटीडी-16.12.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-5000/-	आवेदन वापस।		आवेदन वापस।
					2. आपत्तिकर्ता बी0एस0आर0टी0सी मुजफ्फरपुर, वाहन संख्या-बी0आर0 01 पी0एफ0 7597, परमिट संख्या-बी0आर0 2024 एस0सी0 2105ए0, मार्ग संख्या-4786 लाउन, मुजफ्फरपुर से सुगिया, वैधता-07.10.2029 आवेदक शिवहर प्र०-09:12, आपत्तिकर्ता शिवहर प्र०-09:12 समय अन्तराल शून्य।	2. बी0आर0 01 पी0एफ0 7597 टैक्स-21.03.2026 फिटनेस-20.06.2025 इन्शुरेंस-नहीं। प्रदूषण-19.06.2026 वीएलटीडी-27.05.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।			
					3. आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार तिवारी वाहन संख्या बी0आर0 30 पी0ए0 2427 का कहना है कि पहले आओ पहले पाओ के अनुसार मेरा आवेदन क्रमांक 12 पर है। आवेदक शिवहर प्र०-05:40, आपत्तिकर्ता शिवहर प्र०-05:42 आवेदक तरियानी प्र०-06:03, आपत्तिकर्ता शिवहर प्र०-06:03 समय अन्तराल 02 एवं शून्य।	3. बी0आर0 30 पी0ए0 2427 टैक्स-30.04.2026 फिटनेस-20.11.2027 इन्शुरेंस-03.05.2026 प्रदूषण-12.04.2026 वीएलटीडी-30.07.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।			




एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निस्सन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
26	श्री विजय कुमार सिंह, पिता-श्री योगेन्द्र सिंह, पता-131 नियर किशान भवन वाई न०-5, थाना-छतौनी, जिला-शिवहर। बैनर का नाम-जय माँ सीता।	बी.आर. 06 पी.ई.-8016 ई.-8016 26.02.2020 मॉडल 2020	बी.आर. 06 पी.ई.-8016 टैक्स-23.05.2026 फिटनेस-25.02.2028 इन्सुरेंस-19.04.2026 प्रदूषण-16.02.2027 वीएलटीडी-29.10.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4786 सुगिया से मुजफ्फरपुर, भाया-शिवहर, तरियानी, मीनापुर। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। सुगिया प्र०-06:00, 11:20, 16:13 मुजफ्फरपुर प्र०-08:26, 13:12, 18:45	आपत्तिकर्ता श्री रवि शंकर सिंह, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0वी0 2136, परगिट संख्या-बी0आर0 2022 एस0सी0 1044ए0, मार्ग संख्या-2407, पिघराही से बैरिया बस स्टैण्ड, वैधता-29.04.2027 आवेदक तरियानी प्र०-17:36, आपत्तिकर्ता तरियानी प्र०-17:38 समय अन्तराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि आवेदन में मुजफ्फरपुर प्रस्थान-08:26 दिया है वह इसी मार्ग सुगिया से मुजफ्फरपुर पर बी0आर0 06 पी0ई0 8016 का पहले से निर्गत समय मुजफ्फरपुर प्रस्थान 08:26 है।	बी0आर0 06 पी0वी0 2136 टैक्स-04.04.2026 फिटनेस-28.09.2026 इन्सुरेंस-02.01.2027 प्रदूषण-03.10.2026 वीएलटीडी-17.04.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	आवेदक तरियानी प्र०-17:36, आपत्तिकर्ता तरियानी प्र०-17:38 समय अन्तराल 02 मिनट। आपत्ति मान्य। 08:26 समय पर सूचना मान्य नहीं।		तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
27	श्रीमती शान्ति देवी, पिता-श्री कामेश्वर सिंह, पता-बतशैलिया, थाना-सरैया, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-जै0जी0डी0 ट्रेवलस।	बी.आर. 06 पी.सी.-8754 सी.-8754 15.02.2016 मॉडल 2016	बी.आर. 06 पी.सी.-8754 टैक्स-08.05.2026 फिटनेस-10.08.2026 इन्सुरेंस-17.03.2027 प्रदूषण-30.06.2026 वीएलटीडी-15.07.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2148 अरेराज से पटना, भाया-खजूरिया, केशरिया, साहेबगंज, देवरिया, छपरा, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। अरेराज प्र०-07:30 पटना प्र०-13:16	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

2

ए.जें.का. क्र०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बेंचर	वाहन संख्या / निरूपण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्मुक्ति	विवरण	निर्णय
28	श्री सतीष कुमार सिंह, पिता-श्री राम सिंहाशन सिंह, पता-महेशवारा गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर। बेंचर का नाम-नहीं।	न्यु बस	न्यु बस	मार्ग संख्या-415 मुजफ्फरपुर से दरभंगा, भाया-बेंचिवाड। प्रतिदिन पाँच खेप जाना-आना। मुजफ्फरपुर प्र०-06:05, 09:09, 13:52, 16:47, 20:38 दरभंगा प्र०-07:32, 11:32, 15:27, 18:14, 22:55	1. आपत्तिकर्ता श्रीमती रेणु शुक्ला, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०ई० 1650, परमिट संख्या-बी०आर० 2025 एस०सी० 0666ए०, मार्ग संख्या-1965, मधुबनी से मुजफ्फरपुर, वैधता-09.03.2030 आवेदक दरभंगा प्र०-15:27, आपत्तिकर्ता दरभंगा प्र०-15:28 समय अन्तराल 01 मिनट।	1. बी०आर० 06 पी०ई० 1650 टैक्स-13.05.2026 फिटनेस-12.05.2027 इन्श्युरेंस-12.02.2027 प्रदूषण-08.02.2027 वीएलटीडी-12.05.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक दरभंगा प्र०-15:27, आपत्तिकर्ता दरभंगा प्र०-15:28 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्ति अमान्य।	आवेदित वाहन का निबंधन संख्या अप्राप्त।	निबंधन संख्या नहीं होने के कारण अस्वीकृत।
					2. आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार सिंह, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०सी० 6967, परमिट संख्या-बी०आर० 2023 एस०सी० 0146ए०, मार्ग संख्या-415 डाउन, दरभंगा से मुजफ्फरपुर, वैधता-09.01.2028 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-20:38, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-20:38 समय अन्तराल शून्य।	2. बी०आर० 06 पी०सी० 6967 टैक्स-11.05.2026 फिटनेस-18.11.2026 इन्श्युरेंस-11.11.2026 प्रदूषण-10.11.2026 वीएलटीडी-04.12.2027 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-20:38, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-20:38 समय अन्तराल शून्य। आपत्ति मान्य।		
					3. आपत्तिकर्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०जी० 9151, परमिट संख्या-बी०आर० 2026 एस०सी० 0227ए०, मार्ग संख्या-415, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, वैधता-28.01.2031 आवेदक दरभंगा प्र०-11:32, आपत्तिकर्ता दरभंगा प्र०-11:36 समय अन्तराल 04 मिनट।	3. बी०आर० 06 पी०जी० 9151 टैक्स-31.03.2026 फिटनेस-01.04.2027 इन्श्युरेंस-29.03.2026 प्रदूषण-13.03.2027 वीएलटीडी-01.05.2027 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक दरभंगा प्र०-11:32, आपत्तिकर्ता दरभंगा प्र०-11:36 समय अन्तराल 04 मिनट। आपत्ति अमान्य।		
					4. आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार तिवारी वाहन संख्या बी०आर० 30 पी०ए० 2427 का कहना है कि पहले आओ पहले पाओ के अनुसार मेरा आवेदन क्रमांक 12 पर है। आवेदक शिवहर प्र०-05:40, आपत्तिकर्ता शिवहर प्र०-05:42 आवेदक तरियानी प्र०-06:03, आपत्तिकर्ता तरियानी प्र०-06:03 समय अन्तराल 02 एवं शून्य।	बी०आर 30 पी०ए-2427 टैक्स-30.04.2026 फिटनेस-20.11.2027 इन्श्युरेंस-03.05.2026 प्रदूषण-12.04.2026 वीएलटीडी-30.07.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	आपत्ति अमान्य।		

0 1

पृ.क्र.	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
29	श्री उमाकान्त सिंह, पिता-श्री अनन्त सिंह, पता-मुजफ्फरपुर मलाही, हंसी केवाल, जिला-वैशाली। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 01 पी.आर.-7259 मॉडल 2019	बी.आर. 01 पी.आर.-7259 टेक्स-22.04.2026 फिटनेश-01.09.2026 इन्श्युरेंस-27.01.2027 प्रदूषण-20.01.2027 वीएलटीडी-25.11.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4768 डाउन। पटना से रक्सौल, भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, सरैया, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, पिपराकोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। पटना प्र0-09:51 रक्सौल प्र0-21:43	आपत्तिकर्ता श्री सुमथ सौरभ वास्ते श्रीमती सरस्वती देवी, वाहन संख्या-बी0आर0 06 जी0बी0 9896, का कहना है कि पहले आओ पहले पाओ के अनुसार मेरा आवेदन क्रमांक 20 पर है। मार्ग संख्या-4756, पटना से मोतिहारी। आवेदक पटना प्र0-09:51, आपत्तिकर्ता पटना प्र0-09:51 समय अन्तराल शून्य।	बी.आर. 06 जी.बी.-9896 टेक्स-10.05.2026 फिटनेश-12.02.2027 इन्श्युरेंस-10.02.2027 प्रदूषण-06.06.2026 वीएलटीडी-17.02.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदन वापस।		आवेदन वापस।
30	श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, पिता-स्व0 प्रशुराम सिंह, पता-बरुआरी, गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 06 पी.बी.-9039 मॉडल 2013	बी.आर. 06 पी.बी.-9039 टेक्स-06.05.2026 फिटनेश-27.11.2026 इन्श्युरेंस-26.11.2026 प्रदूषण-18.09.2026 वीएलटीडी-22.10.2027 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-253000/-	मार्ग संख्या-415 मुजफ्फरपुर से दरभंगा, भाया-बेनिबाद। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। मुजफ्फरपुर प्र0-05:58, 11:54, 16:59 दरभंगा प्र0-08:14, 14:06, 18:38	आपत्तिकर्ता श्रीमती रेणु शुक्ला, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0ई0 1650, परमिट संख्या-बी0आर0 2025 एस0सी0 0666ए0, मार्ग संख्या-1965, मधुबनी से मुजफ्फरपुर, वैधता-09.03.2030 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0-16:59, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0-17:00 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि श्री मृत्युंजय कुमार सिंह को राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना द्वारा बंदकलिस्ट करते हुए इनके नाम से कोई भी परमिट निर्गत नहीं करने का आदेश सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-5530 दिनांक-17.07.2023 एवं ज्ञापक-6174 दिनांक-03.08.2023 को निर्गत है।	बी0आर0 06 पी0ई0 1650 टेक्स-13.05.2026 फिटनेश-12.05.2027 इन्श्युरेंस-12.02.2027 प्रदूषण-08.02.2027 वीएलटीडी-12.06.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-5530 दिनांक-17.07.2023 एवं ज्ञापक-6174 दिनांक-03.08.2023 के आलोक में वाहन स्वामी ब्लैक लिस्ट।		अस्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निरंकुश की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
31	श्री ऋषि राज, पिता-श्री नागेन्द्र राम, पता-अम्बेदकर रोड चांदनी चौक, बडमपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- नहीं।	बी.आर. 06 पी. एच.-8541 26.02.2026 मॉडल 2026	बी.आर. 06 पी.एच.-8541 टेक्स-19.04.2026 फिटनेश-25.02.2028 इन्सुरेंस-19.01.2027 प्रदूषण-25.02.2027 वीएलटीडी-02.04.2028 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-415 मुजफ्फरपुर से दरभंगा, भाया-बेनीबाद। प्रतिदिन पाँच खेप जाना-आना। मुजफ्फरपुर प्र०-03:05, 06:43, 11:16, 16:21, 19:43 दरभंगा प्र०-05:24, 08:02, 14:51, 18:23, 21:04	आपत्तिकर्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0वी0 2676 का कहना है कि पहले आओ पहले पाओ के अनुसार मेरा आवेदन क्रमांक 23 पर है। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-19:43, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-19:44 समय अन्तराल 01 मिनट।	बी.आर. 06 पी.बी.-2676 टेक्स-13.05.2026 फिटनेश-26.02.2027 इन्सुरेंस-22.02.2027 प्रदूषण-01.01.2027 वीएलटीडी-20.12.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-19:43, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-19:44 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्ति मान्य।		पंचम खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
32	श्री सतीष कुमार, पिता-श्री रामबाबु प्रसाद सिंह, पता-चन्द्रशेखर भवन मिठनपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 06 पी. एच.-8951 26.02.2026 मॉडल 2026	बी.आर. 06 पी.एच.-8951 टेक्स-24.05.2026 फिटनेश-25.02.2028 इन्सुरेंस-25.02.2027 प्रदूषण-25.02.2027 वीएलटीडी-27.04.2028 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-415 मुजफ्फरपुर से दरभंगा, भाया-बेनीबाद। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। मुजफ्फरपुर प्र०-02:20, 06:04, 12:27, 17:33 दरभंगा प्र०-04:15, 08:53, 15:02, 19:39	आपत्तिकर्ता श्री सतीष कुमार सिंह, न्यु बस, का कहना है कि पहले आओ पहले पाओ के अनुसार मेरा आवेदन क्रमांक 28 पर है। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-06:04, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-06:05 समय अन्तराल 01 मिनट।		आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-06:04, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-06:05 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्ति मान्य।		क्रमांक 28 का आवेदन अस्वीकृत। आपत्ति अमान्य। आवेदन स्वीकृत।

2

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
33	श्री ऋषि राज, पिता-नागेन्द्र राम, पता-अग्नेदेकर नगर रोड चौदनी चौक, थाना-ब्रहमपुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- नहीं।	न्यु बस बी०आर० ०६ पी०एच० ०५३७ २५.०३.२०२६ मॉडल २०२६	न्यु बस बी०आर० ०६ पी०एच० ०५३७ टेक्स-१९.०४.२०२६ फिटनेस-२४.०३.२०२६ इन्श्युरेंस-१९.०१.२०२७ प्रदूषण-२४.०३.२०२७ वीएलटीडी-१७.०५.२०२८ एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-४१५ मुजफ्फरपुर से दरभंगा, भाया-बेनीबाद। प्रतिदिन पाँच खेप जाना-आना। मुजफ्फरपुर प्र०-०३:४३, ०८:४३, ११:४५, १४:४०, १६:३० दरभंगा प्र०-०७:१४, १०:०५, १३:२१, १६:३०, २०:५७	आपत्तिकर्ता अरुण कुमार मिश्रा, वाहन संख्या-बी०आर० ०६ पी०डी० ५८५१, परमिट संख्या-बी०आर० २०२२ एस०सी० २४२७९०, मार्ग संख्या-४१५, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, वैधता-१४.११.२०२७ आवेदक दरभंगा प्र०-०७:१४, आपत्तिकर्ता दरभंगा प्र०-०७:१५ समय अन्तराल ०१ मिनट।	बी०आर० ०६ पी०डी० ५८५१ टेक्स-१८.०४.२०२६ फिटनेस-१३.०७.२०२६ इन्श्युरेंस-०७.११.२०२६ प्रदूषण-०८.०६.२०२६ वीएलटीडी-१२.०५.२०२७ एच०एस०आर०पी०-हाँ। जुर्माना-नहीं।	आवेदक दरभंगा प्र०-०७:१४, आपत्तिकर्ता दरभंगा प्र०-०७:१५ समय अन्तराल ०१ मिनट। आपत्ति अमान्य।	आवेदित वाहन का निबन्धन संख्या प्राप्त।	निबन्धन संख्या बी०आर० ०६ पी०एच० ०५३७ प्राप्त। स्वीकृत।
34	श्री विकाश कुमार सिंह, पिता-श्री जलधर सिंह, पता-बतरौलिया, पो०-बखरा, थाना-सरैया, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-जे०जी०डी० टेवलस।	बी.आर. ०६ पी.सी.-८७४७ १५.०२.२०१६ मॉडल २०१६	बी.आर. ०६ पी.सी.-८७४७ टेक्स-०८.०६.२०२६ फिटनेस-०६.०६.२०२६ इन्श्युरेंस-०६.११.२०२६ प्रदूषण-०३.११.२०२६ वीएलटीडी-२०.१०.२०२६ एच०एस०आर०पी०-हाँ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-२१४८ अरराज से पटना, भाया-खजूरिया, केशरिया, साहेबगंज, देवरिया, छपरा, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। अरराज प्र०-२१:४५ पटना प्र०-०७:१५	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं गैरवैधता	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
35	श्री विकास कुमार सिंह, पिता—श्री जलधर सिंह, पता—बतसौलिया, पो०—बखरा, धाना—सरैया, जिला—मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम—जे०जी०डी० ट्रेवल्स।	बी.आर. 06 पी.सी.—8749 15.02.2016 मॉडल 2016	बी.आर. 06 पी.सी.—8749 टेक्स—08.05.2026 फिटनेस—23.06.2026 इन्सुरेंस—01.11.2026 प्रदूषण—16.02.2027 वीएलटीडी—13.03.2026 एच०एस०आर०पी०—हैं। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—2148 अरेशाज से पटना, भाया—खजूरिया, केशरिया, सहेबगंज, देवरिया, छपरा, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना—आना। अरेशाज प्र०—12:40 पटना प्र०—03:40	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
36	श्री मृत्युंजय कुमार, पिता—श्री कामेश्वर सिंह, पता—बखरी महेशी, जिला—पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम— जेम नमः शिवाय।	बी.आर. 05 पी.बी.—9091 19.02.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 05 पी.बी.—9091 टेक्स—18.05.2026 फिटनेस—18.02.2027 इन्सुरेंस—10.02.2027 प्रदूषण—18.02.2027 वीएलटीडी—05.03.2027 एच०एस०आर०पी०—हैं। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—MPPY 2017 रघुनाथपुर बाजार से बेतिया, भाया—रघुनाथपुर कोठी चौक, कथरी बाजार, मननपुर बजिया, कोटवा, कवहरी चौक, मोतिहारी बस स्टैंड, छपवा। प्रतिदिन दो खेप जाना—आना। रघुनाथपुर बाजार प्र०—07:10, 16:15 बेतिया प्र०—12:12, 19:45	आपत्तिकर्ता श्री अमरेश कुमार, वाहन संख्या—बी०आर० 31 पी०ए० 5781, परनिट संख्या—026/2018, मार्ग संख्या—2605, पटना मिठापुर बस स्टैंड से बेतिया, वैधता—27.10.2028 आवेदक बेतिया प्र०—12:12, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०—12:15 समय अन्तराल 03 मिनट।	बी०आर० 31 पी०ए० 5781 टेक्स—01.04.2026 फिटनेस—27.06.2026 इन्सुरेंस—01.07.2026 प्रदूषण—29.12.2026 वीएलटीडी—23.03.2027 एच०एस०आर०पी०—हैं। जुर्माना—नहीं।	आवेदक बेतिया प्र०—12:12. आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०—12:15 समय अन्तराल 03 मिनट। आपत्ति अमान्य। चयन पत्र में प्रखण्ड की जाँच के शर्त पर।		स्वीकृत। आवेदन एम०एम०पी० पी० वाई० के तहत है। चयन पत्र की जाँच के शर्त पर निर्गत।

अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन पत्रों पर विचार।

क्र.सं.	वाहन स्वामी का नाम पता एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	विवरण	अभ्युक्ति	निर्णय
1	श्री सत्येन्द्र नाथ मिश्रा, पिता-स्व० ठाकुर मिश्रा, पता-अजय कुमार वर्मा गोपालपुर मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण।	BR05PB-6155 परमिट संख्या- BR2025-SC-3258A टैक्स-10.04.2026 फिटनेस-24.07.2026 इ-शुरेंस-10.07.2026 प्रदुषण-24.07.2026 वी.एल.टी.डी.-04.07.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्नाना-नहीं।	5500/- 07.03.2026	मार्ग संख्या-3675 डाउन। रक्सौल से गुठनी, भाया-रामगढ़वा, सुगौली, छपवा, मोतिहारी, खजुरिया, मोहम्मदपुर, गोपालगंज, मीरगंज, सिवान। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र0-08:28 गुठनी प्र0-13:41	आपत्ति अप्राप्त।			स्वीकृत।
2	श्री रज्जीत कुमार, पिता-हरेन्द्र प्रसाद सिंह, पता-यामा गिदघा, जिला-मुजफ्फरपुर	BR01PR-3843 परमिट संख्या- BR2026-SC-0036A टैक्स-01.06.2026 फिटनेस-11.07.2026 इ-शुरेंस-02.10.2026 प्रदुषण-13.06.2026 वी.एल.टी.डी.-04.09.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्नाना-नहीं।	5500/- 10.02.2026	मार्ग संख्या-3957 मौंझी से बैरिया बस स्टैण्ड, भाया-छपरा, छपरा नेहरू चौक, गरखा, कटसा, भेल्दी, सोहनो, मकर, रेवाघाट, अमवारा, बखरा, भगवानपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। मौंझी प्र0-03:55 बैरिया बस स्टैण्ड प्र0-17:05	आपत्ति अप्राप्त।			स्वीकृत।

अपर समाहर्ता (राजस्व)
-सह-सदस्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।